दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ – दिल्ली प्रदेश

कार्यालय का पता : दुकान नं. 2 3, [illegible] मार्केट, [illegible] केशवपुरम, दिल्ली 35

E-mail dsrdsdelh@gmail.com Website ....

अध्यक्ष / प्रधान
[illegible]
मो. 9212567435
ई मेल skg7435@gmail.com

महासचिव
[illegible]
मो. 9312238830
ई मेल ....

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
[illegible]
मो. 9810406015
ई मेल ....

उपाध्यक्ष
[illegible]
मो. 9811153175
ई मेल ....

अंकुर गोयल (ईस्ट)
मो. 9560128537
ई मेल ....

[illegible]
मो. 9910173582
ई मेल ....

[illegible]
मो. 9211608223
ई मेल ....

[illegible]
मो. 9212526640
ई मेल ....

[illegible]
मो. 9311170846
ई मेल ....

[illegible]
मो. 9810678574
ई मेल ....

[illegible]
मो. 9810316311
ई मेल ....

सचिव
[illegible]
मो. 9311385566

[illegible]
मो. 9278203088

[illegible]
मो. 9810630303

कैशियर
[illegible]
मो. 9213745545

क्रमांक संख्या DSRDS 2014 दिनांक ....

सेवा मे

सचिव एवम आयुक्त महोदय
खाध्य एवम सम्भरण विभाग
K- ब्लॉक विकास भवन
नई दिल्ली -110001

विषय- जुलाई माह के राशन के गेहु तथा चावल के ड्राफ्ट/चेक लगाने हेतु खाध्य एवम सम्भरण विभाग तथा **दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड(DSCSC)** के असहयोग के कारण दिल्ली के उचित दर दुकानदार परेशान क्यू?

महोदया

जैसा कि आप भली-भांती जानते है कि इन दिनो विभाग की भ्रमित नीतियो के कारण जनता से लेकर राशन डीलर्स तक सब परेशान है! इसके क्या-क्या कारण है प्रशासनिक हैसियत से आप सब-कुछ जानते है! परन्तु इन के उपर फिलहाल चर्चा न करते हुए मै आपका ध्यान जुलाई माह के राशन के गेहु तथा चावल के ड्राफ्ट/चेक न लगाने पर केन्द्रित कर रहा हू :-

(1) जैसा कि आप दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड(DSCSC) के चेयरमेन होने के साथ-साथ खाद्या एवम आपूर्ती विभाग के आयुक्त भी है, परन्तु इसके पश्चात भी आप हमारी आर्थिक परिस्थिति के प्रति गम्भीर नहीं है जो कि एक चिंता का विषय है

विशेष सूचना अधिकारी : [illegible] - 9871420213

(2) यह कि आपसे दिनांक 13/06/2014 को वार्तालाप के दौरान आपने मौखिक आदेश दिया था कि "**आप मेरी व विभाग की मजबूरी को समझते हुए जून माह का राशन प्रत्येक उचित दर दुकानदार अपने स्वयं के खर्चे द्वारा थोड़ी सी परेशानी उठाकर जन-हित में माल का वितरण करने की कृपा करे, और हमने आपके मौखिक आदेश का अक्षरत: पालन किया! और साथ में आपने यह भी कहा था कि अगले माह के जुलाई के ड्राफ्ट में से मजदूरी/किराया जो विभाग द्वारा तर्कसंगत हमारे लिए तय की जायगी. वह आप उस खर्चे कि रकम को जुलाई माह के ड्राफ्ट/चेक लगाते समय काटकर जमा करेंगे**".

(3) यह कि जुलाई माह की आवंटन के लिए आपने दिनांक 26-06-2014 से दिनांक 08-07-2014 तक बराबर तारीख़ सरकाते रहे,और उपरोक्त विषय पर हमारे द्वारा जून में खर्चे की मजदूरी/ किराया के सम्बन्ध में कोई आदेश हमे नही दिया गया जिस कारण अधिकांशत: दुकानदार पूंजी के आभाव में परेशान रहे!जब इस विषय पर फोन द्वारा DSCSC के कंपनी सेक्रेटरी और सहायक प्रबंधक श्री आर. पी. सहगल से चर्चा की गई तो उन्होंने एक SMS मेरे मोबाइल पर भेजा जिसके शब्द इस प्रकार है - **AS PER THE APPROVAL OF COMPETENT AUTHORITY YOU ARE REQUESTED TO INSTRUCT ALL BRANCHES TO ACCEPT DRAFTS FROM FPS's AFTER DEDUCTING Rs. 35 /- PER QTLS. THE QUANTITY OF JUNE ALLOCATION** **यह मैसेज दिनांक 28-06-2014 को समय 11:11 प्रातः मोबाइल नंबर -9810076540 से आया**

परन्तु जब बैंक में हम दुकानदार गए तो इन आदेशो को बैंक ने मानने से मन कर दिया! तथा अपनी पूर्व नीति के अनुसार पूर्ण रकम का ड्राफ्ट लेने के लिए हमे निर्देशित किया, विडम्बना यह है की एक्सिस बैंक दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड(DSCSC) का बैंकर है,और यदि वह DSCSC के आदेशो की अवहेलना कर रहा है और आप इसके CMD है तो इसका अर्थ यह है की आप हमसे एक दुकानदार की हैसियत से काम न कराकर एक चैरिटी के रूप में काम कराने की चेष्टा कर रहे है अथवा हमे बंधुवा अनुयायी मानकर बलात सेवा लेने का प्रयत्न कर रहे है! जो की लोकतान्त्रिक भारत में तथा भारतीय सविधान के अनुसार आपकी इस प्रक्रिर्या की कोई जगह नही है

(4) इन उपरोक्त हालत को देखते हुए स्पष्ट होता है कि न तो आपको जन- हित की चिंता है तथा न ही वर्षो से लगातार कार्यरत उचित दर दुकानदारो के हितो कि चिंता है

अंत में मेरा आपसे यह निवेदन है कि यदि आप दिल्ली के उचित दर दुकानदारो की उचित सेवा चाहते है तो भविष्य के लिए उचित नीतिया बनाकर दुकानदारो के हित में उनके परिवार के भरण-पोषण के लिए स्पष्ट नीतियों के साथ-साथ कारोबार की नीतिया स्पष्ट करे तथा समय पर जारी करे! जनता के सहयोग के लिए आपके अगले लिखित आदेश की प्रतीक्षा में दिल्ली के उचित दर दुकानदार

भवदीय SK Garg 10/07/2014
शिव कुमार गर्ग
(प्रधान)
(9212567435)